तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 286/2023 अनवान पवन कंवर बनाम दुर्गसिंह वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
14/08/24	**निर्णय** पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीनी एवं वकील अप्रार्थी संख्या 05, 08, 15, 16 व 29 उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने निवेदन किया कि प्रार्थीनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 40, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 01 खीमा उर्फ खीमसिंह के वारिश है, जिनकी पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर खसरा संख्या 1093 रकबा 50.14 बीघा, खसरा संख्या 1092 रकबा 0.07 बीघा कुल रकबा 51.01 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में पैतृक भूमि होने से तथा प्रार्थीनी के पिता का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा होने से प्रार्थीनी का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार बनता है। वर्तमान में मौके पर अप्रार्थीगण प्रार्थीनी को उसके हिस्से पर काश्त करने नही देते तथा प्रार्थीनी की भूमि के सेढों में हस्तक्षेप कर बिना विभाजन करवाये प्रार्थीनी के सेढे तोड़कर उसमे निर्माण कार्य करवा कर अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है। संयुक्त खातेदारी की भूमि का अप्रार्थीगण फायदा उठाकर अप्रार्थीगण बेशकीमती भूमि से प्रार्थीनी को बेदखल करने की लगातार धमकियां दे रहे है तथा अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण उसमे सफल होते है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। लिहाजा दिनांक 17.07.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की [illegible] मौजा बाड़मेर आगोर पटवार हल्का बा[illegible] जिला बाडमेर खसरा संख्या 1093 रकबा 50.14 बीघा, खसरा संख्या 1092 रकबा 0.07 बीघा कुल रकबा 51.01 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। वकील अप्रार्थी 05, 08, 15, 16 व 29 ने बहस कर निवेदन	

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested

किया कि प्रार्थीनी का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है तथा न ही प्रार्थीनी का राजस्व रेकर्ड में हक व हिस्सा है। प्रार्थीनी का कब्जा काश्त नही होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही की जा रही है तथा न ही प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीनी, अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रही है। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज फरमावें।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज एवं प्रार्थना– पत्रों से साबित हो रहा है कि प्रार्थीनी गोरधनसिंह की पुत्री है, लिहाजा अप्रार्थीगण, प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। मौके पर विवाद की स्थिति है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है। प्रकरण में अप्रार्थीगण मौके पर विवाद कर रहे है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। प्रकरण के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर खसरा संख्या 1093 रकबा 50.14 बीघा, खसरा संख्या 1092 रकबा 0.07 बीघा कुल रकबा 51.01 बीघा [illegible] किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा [illegible] किसी अन्य से करावे। मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति [illegible] में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested